

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था 2/सी/ स्थाना /11/2011/62

भोपाल,दिनांक 07/06/2011

//आदेश//

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निम्नांकित व्याख्याता का स्थानान्तरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 6 में अंकित संस्था में किया जाता है।

2/ यह पदस्थापना स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर होने से इन्हें किसी प्रकार के यात्रा भत्ते इत्यादि की पात्रता नहीं होगी।

स. क.	नाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानान्तरित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री गुरुचरण प्रसाद (अर्थशास्त्र)	AW 3081	शास.उ.मा.वि. बरहना(कोठी) जिला सतना	23139966602	शास.उ.मा.वि.मैहर जिला सतना	23130277705

07/06/11

आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.

भोपाल,दिनांक 07/06/2011

पृष्ठा क्रमांक/स्था.2/सी/स्था0/11/2011/63

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक मान. मंत्रीजी /मान.राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र. भोपाल।
4. कलेक्टर जिला,सतना।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला सतना,।
6. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय रीवा।
7. जिला कोषालय अधिकारी जिला सतना,।
8. स्टॉफ आफिसर आयुक्त लोक शिक्षण म.प्र.भोपाल।
9. जिला शिक्षा अधिकारी,सतना, म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें, कि स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत है तथा स्थानान्तरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। कार्यभार ग्रहण कराने की निर्धारित अवधि एक सप्ताह है। अतः इसी अवधि में आदेश का पालन सुनिश्चित कराया जाय। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न कराते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत कराया जाय। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।
10. संबंधित प्राचार्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

07/06/11

आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.